न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 134/2023 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/00154)

1. काजी अहतशामुद्दीन पुत्र काजी इकरामुद्दीन जाति मुसलमान निवासी आलनपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. श्रीमती रजिया परवीन पत्नी काजी अहतशामुद्दीन जाति मुसलमान निवासी आलनपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये आवंटन अधिकारी उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 16.07.2010 कमांक प.12( ) राजस्व/10/621 द्वारा आवंटन अधिकारी उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर वहक विपक्षी सं02 बाबत् आराजी खसरा नं0 1890 व 1891 सिवायचक कुल रकबा 0.45 है0 में से रकबा 0.40 है0 ग्राम आलनपुर सवाई माधोपुर।

उपस्थितिः–

श्री श्याम सुन्दर गुप्ता वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः– 28.12.2023

उक्त प्रथम अपील एल.आर.एक्ट की धारा 75 के तहत उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 16.07.2010 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा रैस्पों0 संख्या 2 को अनुसूचित जन–जाति की बालिकाओं हेतु महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास भवन निर्माण के लिये आलनपुर सवाई माधोपुर में स्थित सिवायचक भूमि खसरा नंबर 1890 व 1891 कुल रकबा 0.45 है0 में से 0.40 है0 भूमि का आवंटन किया गया है। उक्त आवंटन के विरूद्ध यह अपील इस आधार पर पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कीगई तथा रैस्पों0 की तलवी जरिये समन की गई व अपीलाधीन आवंटन संबंधी मूल पत्रावली तलव की गई। रैस्पोडेन्टस की विधिवत तामील होने के बाबजूद भी कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 16.07.2010 विधिविरूद्ध व क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त आवंटन उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा किया गया है जबकि राजकीय भूमि का आवंटन करने का अधिकार जिला कलक्टर को प्राप्त है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन से पूर्व आवंटन नियमों की पालना भी नही की गई तथा आवंटन करने का अधिकार नहीं होने के बाबजूद भी नियमविरूद्ध आवंटन किया गया है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा रैस्पों0 संख्या 2 को ग्राम आलनपुर के खसरा

28.12.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

नंबर 1890 व 1891 में से 0.40 है0 का आवंटन छात्रावास निर्माण हेतु किया गया है। उक्त आवंटित भूमि पर अपीलान्टस का अपने बुजुर्गों के समय से लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। रैस्पों0 संख्या 2 को आवंटित भूमि खसरा नंबर 1890 व 1891 के साबिक खसरा नंबर 616/1 एवं 618 थे जो कि अपीलान्ट के पैत्रिक कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 1897 के अटैच है, तथा अपीलान्ट बुजुर्गों के समय से ही इस खातेदारी के खेत से मिली हुई है। आवंटन से पूर्व पटवारी हल्का द्वारा न तो मौका देखा गया और न ही मौका रिपोर्ट ही बनायी वरन् अपीलान्ट के पुश्तैनी कब्जाकाश्त की भूमि को गलत व नाजायज रूप से मौके पर भूमि खाली होने की रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित कर दी जबकि उक्त भूमि पर अपीलान्ट का बुजुर्गों के समय से ही लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि से अपीलान्टस को कभी भी किसी भी राजस्व अधिकारी/कर्मचारी द्वारा बेदखल नहीं किया गया है। आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि के नये नंबर 3301/1890 व 3302/1891 बने हैं जो कुल 0.40 है0 है। शेष 0.05 है0 भूमि रास्ते के उपयोग में आना बताया गया है। छात्रावास निर्माण हेतु आवंटित भूमि न तो मौके पर खाली थी और न ही छात्रावास निर्माण हेतु उचित ही थी। इसलिये सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर छात्रावास का निर्माण नहीं कराया गया। आवंटन आदेश की शर्त संख्या 3 में यह स्पष्ट है कि कब्जा लेने की तिथि से भवन का निर्माण 6 माह के अन्दर–अन्दर प्रारम्भ कर दिया जावेगा, तथा 2 वर्ष के भीतर–भीतर निर्माण पूर्ण कर भवन का उपयोग छात्रावास प्रयोजन हेतु किया जावेगा। रैस्पों0 संख्या 2 द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण उक्त आवंटन निरस्तनीय हैं। रैस्पों0 संख्या 2 के द्वारा उक्त भूमि छात्रावास निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं होने के कारण अन्य स्थान पर भूमि आवंटित किये जाने बाबत् जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने ग्राम आलनपुर के खसरा नंबर 2494/3034 कुल रकबा 0.50 है0 सिवायचक भूमि का दिनांक 05.08.2014 को उक्त छात्रावास के निर्माण हेतु आवंटन किया है। उक्त आवंटित भूमि का रैस्पों0 संख्या 2 के द्वारा कब्जा प्राप्त कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से आवंटित भूमि पर छात्रावास भवन व खेलमैदान बन चुका है तथा उपयोग में आ रहे हैं। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा आवंटन आदेश जारी किये जाने से पूर्व उक्त छात्रावास हेतु उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा किये गये आवंटन आदेश दिनांक 16.07.2010 को निरस्त नहीं किया गया जबकि उक्त आवंटन आदेश जारी होने के बाद उपखण्ड अधिकारी की ओर से किये गये आवंटन को निरस्त कर भूमि को पुनः सिवायचक दर्ज किया जाना चाहिये था। इस आधार पर उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से किया गया आवंटन आदेश स्वतः ही निरस्त हो जाता है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से आवंटित भूमि अपीलान्ट के कब्जेकाश्त व खातेदारी के खेत खसरा नंबर 1897 से लगी हुई होने के कारण उक्त भूमि पर अपीलान्ट्स का कब्जा होने के कारण नियमन योग्य है। इस आधार पर अपीलान्ट्स को उक्त भूमि पर स्वामित्व संबंधी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। अपीलाधीन आवंटन आदेश की जानकारी

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट्स को पूर्व में नहीं थी। सर्वप्रथम दिनांक 15.09.2016 को पटवारी हल्का की ओर से बताये जाने पर अपीलाधीन आवंटन आदेश के बारे में जानकारी प्राप्त हुई जिस पर दिनांक 16.09.2016 को नकल हेतु आवेदन पेश किया गया। दिनांक 23.09.2016 को नकल प्राप्त होने पर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के बाद जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अदालत हाजा में दिनांक 06.10.2016 को अपील पेश की गई है। अपील पेश करने में हुये विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पेश किया गया है जिसका रैस्पों0 की ओर से कोई जबाब पेश नहीं किया गया है और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 16.07.2010 निरस्त किया जावे तथा खसरा नंबर 1890 रकबा 0.27 है0 व खसरा नंबर 1891 रकबा 0.18 है0 ग्राम आलनपुर सवाई माधोपुर का अपीलान्ट्स के पक्ष में नियमन किये जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 16.07.2010 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के न्यायालय में दिनांक 07.10.2016 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील एवं इसके साथ संलग्न दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन आवंटन आदेश की जानकारी दिनांक 15.09.2016 को पटवारी हल्का से होने के बाद दिनांक 16.09.2016 को नकल हेतु आवेदन करने एवं दिनांक 23.09.2016 को नकल प्राप्त होने के बाद जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश किये जाने का उल्लेख किया गया है। रैस्पों0 की ओर से न तो दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का जबाब पेश किया गया है और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन आवंटन आदेश के बारे में प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से जानकारी रही हो। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर विश्वास नही करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। इसके अलावा भी माननीय राजस्व मण्डल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालयों को मियाद संबंधी बिन्दु पर उदार रूख रखना चाहिये तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज किये जाने से बचना चाहिये। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो वकील अपीलान्ट की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के आवंटन प्राधिकारी नहीं होने के बावजूद भी रैस्पो0 संख्या 2 के पक्ष में भूमि का आवंटन किया गया है तथा जिस भूमि का आवंटन रैस्पों0 संख्या 2 के पक्ष में किया गया है वह भूमि अपीलान्ट के खातेदारी भूमि के नजदीक होने के कारण आवंटित

18.12.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

भूमि पर बुजुर्गों के समय से ही अपीलान्ट का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। इसके अलावा रैस्पों0 संख्या 2 को छात्रावास निर्माण हेतु जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से अन्य भूमि का आंवटन किये जाने के कारण उक्त आवंटन को यथावत रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। इस संबंध में आवंटन संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर यह स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा रैस्पों0 संख्या 2 के पक्ष में अनुसूचित जन–जाति की छात्राओं हेतु महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास हेतु भूमि आवंटित किये जाने हेतु सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से पत्र प्राप्त होने पर आवंटन हेतु निर्धारित चैकलिस्ट प्राप्त कर मौका पर्चा व अन्य रिकार्ड के साथ प्रस्ताव जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को प्रेषित किये गये थे जिसे जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 24.05.2010 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर को इन निर्देशों के साथ लौटाया गया था कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 13.02.2001 के अनुसार नियम 2(छ) के तहत छात्रावास के लिये अधिकतम 2 एकड भूमि आवंटन के लिये नियम 4(1) के अनुसार उपखण्ड अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी है। इसलिये प्रस्तावित भूमि आवंटित कर आवंटन आदेश की प्रति भिजवायी जावे। उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को प्रस्तावित भूमि नगरपालिका क्षेत्र में होने के कारण आवंटन हेतु जिला कलक्टर अधिकृत होने के कारण आवंटन हेतु भिजवायी गई जिसे पुनः जिला कलक्टर द्वारा पत्र दिनांक 04.06.2010 के द्वारा उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को छात्रावास हेतु भूमि आवंटित कर आवंटन आदेश की प्रति भिजवाये जाने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देशों के बाद उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 16.07.2010 को जारी किया गया है। अतः वकील अपीलान्ट ने यह आपत्ति की कि उपखण्ड अधिकारी को आवंटन का अधिकार नहीं होने के बाबजूद आवंटन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में सारहीन हो जाती है। उक्त आवंटन आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट के पिता के द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील संख्या 70/2012 उनवानी काजी इमामुद्दीन बनाम राज0 सरकार व अन्य के नाम से पेश की थी। जिसमें निर्णय दिनांक 30.08.2012 के द्वारा अपील खारिज कर उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा किये गये आवंटन आदेश दिनांक 16.07.2010 को बहाल रखा गया था। अपीलान्ट की ओर से पुनः नयी अपील उपरोक्त तथ्य को छिपाते हुए अदालत हाजा में प्रस्तुत की है ज़बकि उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से पारित आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट के पिता द्वारा पूर्व से ही अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में पेश की जा चुकी थी। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 16.07.2010 में किसी तरह की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है।

परन्तु वकील अपीलान्ट की ओर से दौराने बहस नया तथ्य यह अवगत कराया गया कि रैस्पों0 संख्या 2 को अनुसूचित जन–जाति की छात्राओं हेतु महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास निर्माण हेतु जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा आदेश दिनांक 05.08.2014 के द्वारा अन्य भूमि आवंटित कर दी गई है। उक्त आवंटित भूमि पर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

विभाग के माध्यम से भवन खेलमैदान व छात्रावास का निर्माण करवा लिया है। अतः एक ही संस्थान के लिये दो भूमि आवंटित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके समर्थन में आवंटन आदेश दिनांक 05.08.2014, चैकलिस्ट, सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से जारी कार्य आदेश आदि की प्रति पेश की है। इसलिए जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को उक्त प्रकरण जांच हेतु भिजवाये जाने पर विचार किया जा सकता है कि यदि रैस्पों0 संख्या 2 के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा जारी आवंटन आदेश दिनांक 16.07.2010 व जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा जारी आवंटन आदेश दिनांक 05.08.2014 एक ही छात्रावास निर्माण हेतु किया गया है तो जिस भूमि पर निर्माण कार्य नहीं किया गया है उस भूमि का आवंटन नियमानुसार निरस्त किये जाने की कार्यवाही करते हुये आवंटित भूमि को पुनः सिवायचक दर्ज किये जाने की कार्यवाही करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 28.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर